…बर व तारीख
…हकमा जो
की तामील में जारी

न्यायालय उपखंड अधिकारी अरांई (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती निशा सहारण

मुकदमा नम्बर 140 /2022 उनवान राधाकिशन बनाम कालू

राधाकिशन पुत्र कालू उम्र करीबन 74 साल जाति बैरवा निवासी ग्राम लाम्बा तहसील अरांई जिला अजमेर राज. —वादी

बनाम

कालू पुत्र कल्याण उम्र बालिग जाति बैरवा निवासी ग्राम लाम्बा तहसील अरांई जिला अजमेर राज. व अन्य। — प्रतिवादीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.का.अधि. 1955

निर्णय दिनांक 31.05.2024

उपस्थितः— वकील उभयपक्ष दौराने बहस

1. यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से वकील प्रार्थी श्री रामदेव गुर्जर द्वारा पेश किया गया। संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से वकील प्रार्थी ने जाहिर किया कि वादी की ओर से एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राज.का.अधि. 1955 के तहत माननीय न्यायालय में पेश किया हुआ है जिसके अन्तर्गत उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.का.अधि. 1955 श्रीमान के समक्ष पेश किया गया है। यह है कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण एक ही परिवार के सदस्य है तथा प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 02 से 05, अप्रार्थी संख्या 01 के वारिसान है। यह है कि प्रार्थी की कब्जे काश्त की पैतृक आराजी ग्राम लाम्बा पटवार हल्का लाम्बा में स्थित है जिसके खाता संख्या 52 के खसरा संख्या 1100, 311, 312, 535, 562 कुल किता 05 कुल रकबा 6.6936 हैक्टेयर तथा खाता संख्या 53 के खसरा संख्या 2162/313 एवं 313 कुल किता 02 कुल रकबा 0.3075 हैक्टयेर भूमि स्थित है जो कि अप्रार्थी संख्या 01 को जरिये विरासत के नामान्तरण संख्या 223 दिनांक 25.05.1996 के जरिये प्राप्त हुई है जिसमें प्रार्थी का हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के तहत जन्म से ही विधिक अधिकार निहित है। यह है कि अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा प्रार्थी की पैतक सम्पति का अधिकार अभिलेख में इन्द्राज होने के कारण उपरोक्त खसरा नम्बर में सम्पूर्ण हिस्से का अप्रार्थी संख्या 06 लगायत 08 के पक्ष में उपहार प्रलेख निष्पादित करवा दिया, जो कि प्रतिवादी संख्या 03 से 05 की पत्नियां है, जो अप्रार्थी द्वारा आपस में मिल कर अवैधानिक कृत्य किया गया है जो कि विधिविरूद्ध है। प्रार्थी उक्त [illegible] हिस्सा रखता है लेकिन अप्रार्थीगण प्रार्थी को उसके हिस्से की जमीन से बेदखल [illegible] हैं। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अप्रार्थीगणों कों प्रार्थना पत्र में वर्णित [illegible] हल्का लाम्बा में स्थित है जिसके खाता संख्या 52 के खसरा संख्या 1100, 311, 312, [illegible] 562 कुल किता 05 कुल र[illegible] 6.6936 हैक्टेयर तथा खाता संख्या 53 के खसरा संख्या 2162[illegible]13 एवं 313 कुल किता [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2024.07.08 18:05:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट अरांई (अजमेर)

रकबा 0.3075 हैक्टयेर भूमि का राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिती बनाये रखने के लिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे।

2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 20.12.2022 को दर्ज रजिस्टर क्रमांक 141/2022 पर दर्ज किया गया तथा अप्रार्थीगणों को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगणों की ओर से वकील श्री योगेश शर्मा उपस्थित हुये लेकिन दिनांक 03.05.2024 तक भी जवाब पेश नहीं करने से उनका जवाब बन्द किया गया तथा वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। बहस में वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया गया।

3. हमारे द्वारा वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई तथा दस्तावेज का अवलोकन किया गया। दस्तावेजात के अवलोकन से ताईद है कि अप्रार्थी संख्या 01 को उक्त भूमि विरासत से प्राप्त हुई तथा प्रार्थी, अप्रार्थी संख्या 01 का पुत्र होने के नाते विरासत के अनुसार वादअधीन भूमि में अपना हिस्सा अधिकार रखता है। प्रार्थी को उसके हिस्से के उपयोग उपभोग से वंचित नहीं किया जा सकता। अतः अप्रार्थीगणों को ग्राम लाम्बा पटवार हल्का लाम्बा में स्थित भूमि जिसके खाता संख्या 52 के खसरा संख्या 1100, 311, 312, 535, 562 कुल किता 05 कुल रकबा 6.6936 हैक्टेयर तथा खाता संख्या 53 के खसरा संख्या 2162/313 एवं 313 कुल किता 02 कुल रकबा 0.3075 हैक्टेयर में प्रार्थी के हक हिस्से तक की भूमि का बेचान, हस्तान्तरण नहीं करने तथा प्रार्थी के हक हिस्से तक की भूमि में प्रार्थी को उपयोग उपभोग में बाधा कारित नहीं करने हेतु अप्रार्थीगणों को मूल वाद के अन्तिम निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 31.05.2024 को हमारे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हमारे हस्ताक्षरों के खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। जाप्ता दफ्तर दाखिल हो।

उपखण्ड अधिकारी
अराई (अजमेर)
अराई

उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट अराई (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2024.07.08 18:05:40 IST
Reason: SelfAttested